

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक  
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,  
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान  
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी  
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन  
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 382 ]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 22 जुलाई 2010—आषाढ़ 31, शक 1932

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 2010

क्र. 15029-वि.स.-विधान-2010.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2010 (क्रमांक 17, सन् 2010) जो विधान सभा में दिनांक 22 जुलाई, 2010 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

डॉ. ए. के. पयासी  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १७ सन् २०१०.

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, २०१०.

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ को संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन संक्षिप्त नाम अधिनियम, २०१० है.

(२) यह २९ अप्रैल, २०१० से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा.

अनुसूची  
संशोधन.

का २. मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) में, अनुसूची में, कालम (१) से (६) में, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात्:—

अनु- क्रमांक (१)	निजी विश्वविद्यालय का नाम (२)	प्रायोजी निकाय का नाम (३)	प्रायोजी निकाय की स्थापना की पद्धति (४)	मुख्य परिसर (५)	अधिकारिता (६)
“१.	जे. पी. अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राघौगढ़, जिला गुना (मध्यप्रदेश)	जयप्रकाश सेवा संस्थान न्यास, नई दिल्ली	रजिस्ट्रीकृत लोक न्यास	जे.पी. अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिसर राघौगढ़, जिला गुना (मध्यप्रदेश)	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश.”

### उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) की धारा ५ में यह उपबंध है कि अधिनियम के अधीन गठित विनियामक आयोग, राज्य में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव का मूल्यांकन करेगा. उक्त उपबंध के आलोक में विनियामक आयोग ने एक निजी विश्वविद्यालय, अर्थात् जे. पी. अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राघौगढ़, जिला गुना स्थापित करने की अनुशंसा की है और उक्त अधिनियम की धारा ६ के आलोक में, राज्य सरकार ने उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में, विश्वविद्यालय के प्रायोजी निकाय को आशय पत्र जारी कर दिया है. उक्त अधिनियम की धारा ९ में यह उपबंध है कि विनियामक आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् समाधान हो जाने पर उक्त अधिनियम की अनुसूची में उसका नाम और विवरण सम्मिलित करते हुए, एक निजी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :

तारीख १६ जुलाई, २०१०.

लक्ष्मीकांत शर्मा  
भारसाधक सदस्य.